आवश्यक सूचना

स्थानीय स्तर के गाईडों की प्रोविजनल सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों द्वारा राजस्थान पर्यटन व्यवसाय एवं सुकरकरण विनियमन एवं नियम 2010 के नियम 9 के तहत पात्र अभ्यर्थियों को स्थानीय स्तर गाईड अनुज्ञप्ति के लिये प्ररूप ग–2 में संबंधित विहित प्राधिकारी को आवदेन करना होगा। प्ररूप ग–2 के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करें :–

1. मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर यह घोषणा की प्राथी नियमित नियोजन या अशंकालिक नियोजन में नही है, का प्रमाण–पत्र देना होगा।
2. स्थानीय पुलिस थाने से चरित्र सत्यापन रिपोर्ट।
3. आधार कार्ड (यदि वर्तमान में आधार कार्ड पंजीयन नही तो अभ्यर्थी द्वारा तीन माह के भीतर आधार कार्ड बनवा कर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा)।
4. शैक्षणिक अर्हता और चयन सूची में मेरिट में रैंक सहित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की तारीख, शैक्षणिक अर्हता और प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने का सबूत (कृपया मूल आवेदन की शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रविष्टि मं कोई परिवर्तन नही करें)।
5. भारत की क्षेत्रीय भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा से भिन्न विदेशी भाषा का, जिसमें आवेदक प्रवीण है, का प्रमाण।
6. अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान पर्यटन व्यवसाय एवं सुकरकरण विनियमन अधिनियम एवं नियम 2010 के तहत के नियम 10 के तहत समस्त गाईडों के लिये सामान्य शर्तो का पालन किया जायेगा, इसका शपथ प्रमाण–पत्र। इस शपथ में आवेदक यह स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि उसने अधिनियम में गाईडों से संबंधित दिशा–निर्देश व शर्ते इत्यादि विधिवत रूप से पढ़ ली है एवं समझ ली है।

नोट :– स्थानीय स्तर गाईड के सफल अभ्यर्थियों को यह निर्देश–दिए जाते है की प्ररूप ग–2 के साथ सभी दस्तावेज दिनांक 12.12.12 से 26.12.12 तक पर्यटक स्वागत केन्द्र, एम.आई.रोड़, जयपुर कार्यालय में समय अपरान्ह 3:00 से सांय 5:00 बजे के मध्य जमा करा सकेगें।